

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प. 17(01)नविवि/अभियान/2021/मं.मं.ज्ञा.

जयपुर, दिनांक: 24.03.2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21.03.2022 को की गई बजट घोषणा 2022-2023 में अधिक से अधिक लोगों को राहतों का लाभ मिल सकें, इस दृष्टि से वर्तमान में चल रहे "प्रशासन शहरों के संग अभियान" की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा के क्रम में "प्रशासन शहरों के संग अभियान" की अवधि दिनांक 31.03.2022 से 31.03.2023 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती हैं।

समस्त छूट/शिथिलताएं/दरें एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन पूर्वानुसार यथावत् रहेगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(डॉ. जोगाराम)

शासन सचिव

स्वायत्त शासन विभाग



(कुंजी लाल मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
8. शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. आयुक्त, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
12. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण(BIDA)भिवाडी।
16. अध्यक्ष/सचिव, समस्त विकास न्यास, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
18. आयुक्त/अधिष्ठाती अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
19. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम